

## अध्याय VII: ऊर्जा मंत्रालय

### दामोदर घाटी निगम

#### 7.1 ऊर्जा विपणन

##### 7.1.1 प्रस्तावना

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की स्थापना 1948 में की गई थी और जो झारखंड (तत्कालीन बिहार) और पश्चिम बंगाल राज्य में दामोदर घाटी क्षेत्र के अंतर्गत ऊर्जा उत्पादन और संवितरण, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, मृदा संरक्षण और अन्य सामाजिक गतिविधियों में लगी हुई थी। डीवीसी के राजस्व का मुख्य स्रोत ऊर्जा विक्रय था। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान डीवीसी के थर्मल ऊर्जा उत्पादन करने वाले स्टेशनों की स्थापित क्षमता 5710 मेगा वॉट (एमडब्ल्यू) से 7640 मेगावॉट के बीच थी। इसलिए, डीवीसी घाटी क्षेत्र में विभिन्न राज्यों और फर्म विक्रय<sup>1</sup> को ऊर्जा संवितरण उपयोगिताओं के साथ द्विपक्षीय समझौते<sup>2</sup> के माध्यम से उपरोक्त अवधि के दौरान केवल 4511 मेगा वॉट से 6337 मेगा वॉट तक की ऊर्जा विक्रय करने में सक्षम था और अतः ऊर्जा अधिशेष<sup>3</sup> थी।

##### 7.1.2 लेखापरीक्षा कार्य-क्षेत्र, उद्देश्य और मानदंड

विषयगत लेखापरीक्षा में 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान अधिशेष ऊर्जा के विपणन हेतु डीवीसी की पहल को शामिल किया गया था।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि:

- ऊर्जा विपणन हेतु डीवीसी के प्रयास प्रभावी थे;
- डीवीसी द्वारा विद्युत क्रय विवेकपूर्ण और मितत्ययी था; और

<sup>1</sup> केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ पर एक विशिष्ट उत्पादक से विद्युत की बिक्री के लिए एक लाभार्थी के साथ दीर्घकालिक पीपीए के माध्यम से द्विपक्षीय समझौते होते हैं।

<sup>2</sup> फर्म विक्रय, संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ पर झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में डीवीसी कमांड क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत विक्रय है।

<sup>3</sup> विद्युत के उत्पादन हेतु अधिशेष संस्थापित क्षमता को अधिशेष विद्युत के रूप में संदर्भित किया जाता है।

➤ डीवीसी के पास एक प्रभावी ऋणी प्रबंधन प्रणाली थी।

लेखापरीक्षा मानदंड में बोर्ड के कार्यवृत्त और कार्यसूची, विद्युत क्रय समझौते और विद्युत नियमावली और विनियमन शामिल थे।

### 7.1.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2013-14 से 2017-18 के दौरान डीवीसी (वर्ष-वार) की स्थापित क्षमता के साथ आपूर्ति हेतु संविदात्मक करार नीचे तालिका में दिये गए हैं:

तालिका 7.1: अधिशेष विद्युत की प्रस्थिति

(आंकड़े मेगावाट में)

वर्ष	जोड़ी गई नई इकाईयों की क्षमता	बंद की गई पुरानी इकाईयां (क्षमता)	वर्ष की समाप्ति पर कुल संस्थापित क्षमता	द्विपक्षीय समझौता <sup>4</sup>	ठेके की मांग (फर्म विक्रय)	विद्युत का कुल विक्रय	अधिशेष विद्युत
2013-14	500	0	5710	1670	2841	4511	1199
2014-15	500	0	6210	1670	2982	4652	1558
2015-16	1200 <sup>5</sup>	140	7270	2220	3384	5604	1666
2016-17	500	130	7640	2870	3467	6337	1303
2017-18	0	550	7090	2870	3384	6254	836

अतःअवधि के दौरान अधिशेष विद्युत 836 मेगा वॉट से 1666 मेगा वॉट के बीच थी।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2019) कि डीवीसी के विद्युत संयंत्रों की घोषित क्षमता<sup>6</sup> को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त अवधि के दौरान अधिशेष क्षमता 322 मेगा वॉट से 972 मेगा वॉट के बीच थी। हालांकि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि द्विपक्षीय विक्रय के टाई-अप

<sup>4</sup> विद्युत आपूर्ति को प्रारंभ करने की तिथि पर आधारित

<sup>5</sup> 31.03.2016 जोड़ी गई क्षमता

<sup>6</sup> एक विद्युत संयंत्र की घोषित क्षमता किसी विशेष समय पर विभिन्न इनपुटों यथा ईंधन, जल आदि की उपलब्धता के संबंध में विशेष समय पर उसकी विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है।

विद्युत संयंत्रों की संस्थापित क्षमता को ध्यान में रखकर किए गए हैं, तदनुसार, अधिशेष विद्युत का मूल्यांकन इस प्रकार की संस्थापित क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने आगे बताया कि डीवीसी को अपेक्षित आपातकाल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 250 मेगा वॉट के स्पनिंग रिजर्व<sup>7</sup> रखने की आवश्यकता थी और उस पर विचार करते हुए 2013-14 से 2017-18 के दौरान अधिशेष विद्युत की मात्रा काफी नहीं थी। मंत्रालय का तर्क इस तथ्य के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है कि समय-निर्धारित करके उत्पादक केंद्रों की घोषित क्षमता के एक भाग को रोककर स्पनिंग रिजर्व को बनाए रखा गया और उत्पादन केंद्र की स्थापित क्षमता के संबंध में अधिशेष विद्युत के साथ उसका कोई संबंध नहीं था।

लेखापरीक्षा में 2013-14 से 2017-18 तक पांच वर्षों की अवधि हेतु डीवीसी के अभिलेखों की समीक्षा की गई और निम्नलिखित पाया:

#### 7.1.3.1 विद्युत विपणन हेतु कार्यनीति

विद्युत परिदृश्य पर बाजार अनुसंधान करने के लिए, संभावित मांग वाले राज्यों/इकाईयों की पहचान करने, आगंतुक संभावित उपभोक्ताओं से मिलने और विद्युत विक्रय हेतु प्रस्तुतीकरण/वार्ता करना, प्रचार सामग्री तैयार करने आदि के लिए एक विपणन टीम का गठन (जनवरी 2015) किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विपणन टीम के लिए विशिष्ट लक्ष्यों के साथ कोई मापदंड नहीं था। बाजार अनुसंधान या प्रयासों के परिणामों की रिपोर्ट भी बोर्ड के समक्ष नहीं रखी गई। लेखापरीक्षा में आगे बताया गया कि विपणन टीम ने विद्युत कमी वाले केवल पांच राज्यों में क्षेत्रीय दौरार आयोजित किया था 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान 18 में से केवल 8 ऐसे राज्यों<sup>8</sup>में दैर किए गए। और ऐसे क्षेत्रीय दौरों के परिणामस्वरूप डीवीसी तीन महीनों हेतु 75 मेगा वॉट के केवल एक पीपीए को प्राप्त कर सका। इसप्रकार, विपणन टीम की पहल डीवीसी की अधिशेष विद्युत का विपणन करने में विशेष रूप से सफल नहीं हो सकी।

<sup>7</sup> स्पनिंग रिजर्व को कुछ रिजर्व मार्जिन के साथ लोड किए हुए भाग की उत्पादक क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है यह प्रणाली को समकालीन बनाता है और आवृत्ति ड्राप की प्रतिक्रिया में निर्देश अथवा तत्काल प्रेषण हेतु संक्षिप्त सूचना के अनुसार बढ़े हुए उत्पादन को प्रदान करने हेतु तैयार किया गया है।

<sup>8</sup> जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन एवं द्वीव, दादर और नगर हवेली, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडू, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड

प्रबंधन ने स्वीकार किया (जनवरी 2019) कि विपणन टीम द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई परन्तु विशिष्ट लक्ष्यों के मापदंड के नहीं होने अथवा विपणन टीम द्वारा व्यापक क्षेत्र के दौरे की कमी के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया। मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों का समर्थन किया (अप्रैल 2019)।

### 7.1.3.2 विद्युत विक्रय

विद्युत विक्रय के लिए डीवीसी के पास सामान्यतः तीन मुख्य अवसर उपलब्ध हैं यथा (क) मध्यम/दीर्घकालिक अवधि हेतु द्विपक्षीय विद्युत खरीद करार (पीपीए) (ख) घाटी क्षेत्र में फर्म विक्रय; और (ग) (i) विद्युत व्यापारियों<sup>9</sup> और (ii) विद्युत एक्सचेंजों<sup>10</sup> के माध्यम से विद्युत का अल्पावधि विक्रय। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान उक्त मुख्य अवसरों के माध्यम से अपनी अधिशेष विद्युत के विक्रय के लिए डीवीसी के प्रयासों की निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

#### (क) द्विपक्षीय पीपीए (मध्यम/दीर्घकालिक अवधि) में शामिल होकर विद्युत विक्रय

दामोदर घाटी निगम समय-समय पर विशिष्ट विद्युत उत्पादक स्टेशन के लिए मध्यम अवधि<sup>11</sup> के साथ-साथ दीर्घकालिक अवधि हेतु थोक उपभोक्ताओं के साथ एक द्विपक्षी पीपीए में शामिल हुई। उत्पादन हेतु विद्युत की मात्रा को दरकिनार करते हुए एक विद्युत उत्पादक थोक उपभोक्ताओं से टाई-अप क्षमता (पीपीए के माध्यम से) के अनुपात में विद्युत उत्पादन केंद्र के निर्धारित प्रभारों की वसूली करने में सक्षम था। पीपीए और उनके संबंधित पीपीए टाई-अप के लिए उपलब्ध इकाईयों की स्थापित क्षमता की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

<sup>9</sup> पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पीटीसी), एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएनएल) और टाटा पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

<sup>10</sup> इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

<sup>11</sup> तीन वर्ष से अधिक नहीं

तालिका 7.2: पीपीए की प्रस्थिति

अवधि	संस्थापित इकाइयों	क्षमता (मेगा वॉट)	अप्रैल 2013 से पूर्व संस्थापित इकाइयों हेतु हस्ताक्षरित पीपीए (मेगा वॉट)	अप्रैल 2013 से मार्च 2018 तक संस्थापित इकाइयों हेतु हस्ताक्षरित पीपीए	हस्ताक्षरित कुल पीपीए (मेगा वॉट)
अप्रैल 2013 से पूर्व	8	3000	1570	700	2270
अप्रैल 2013 से मार्च 2018	5	2700	300	300	600
<b>कुल</b>	13	<b>5700</b>	1870	1000	<b>2870</b>

जैसा उपरोक्त तालिका में देखा गया, डीवीसी 2013-14 से 2017-18 के दौरान केवल 600 मेगा वॉट हेतु पीपीए में शामिल होने में ही सक्षम हुआ। लेखापरीक्षा में देखा गया कि डीवीसी के पास विद्युत विपणन हेतु बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित विपणन<sup>12</sup> नीति नहीं थी जिसमें व्यापक दिशा-निर्देशों का विस्तृत विवरण उपलब्ध हो। संभावित विद्युत क्रेताओं द्वारा जारी की गई निविदाओं के ब्यौरों के विषय में डेटाबेस भी नहीं बनाया गया था। ऐसे डेटाबेस के अभाव में, डीवीसी पीपीए के माध्यम से विद्युत क्रय और विक्रय के बाजार परिदृश्य का आकलन करने में असमर्थ थी।

प्रबंधन ने कहा कि (जनवरी 2019) कि विद्युत के विपणन के लिए नीति तैयार की जा रही हैं। उन्होंने आगे यह कहा गया कि सम्बद्ध लाभार्थियों के दावों के बाद शेष विद्युत का उपयोग घाटी क्षेत्र के उपभोक्ताओं, विद्युत एक्सचेंज के माध्यम से विद्युत विक्रय के साथ अल्पकालिक व्यापार के लिए किया गया था। और इसलिए ऐसे नियत प्रभार की गैर-वसूली का अर्थ डीवीसी के नुकसान के रूप में नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि, प्रबंधन द्वारा निविदाओं के डाटाबेस का अनुरक्षण नहीं बनाए जाने के मामलों पर कोई जबाब नहीं दिया गया।

प्रबंधन/मंत्रालय का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि घाटी क्षेत्र में लाभार्थियों को आपूर्ति की जाने वाली बिजली के लेखाओं को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा द्वारा अधिशेष विद्युत (तालिका 7.2 में प्रदर्शित) पर विचार किया गया था। इसके अलावा उपलब्ध विद्युत की मात्रा की तुलना में केवल 55 मेगावाट से 81 मेगावाट विद्युत की अल्पकालिक बिक्री की गई थी।

<sup>12</sup> पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं

**(ख) घाटी क्षेत्र में फर्म उपभोक्ताओं<sup>13</sup> को विद्युत की बिक्री**

दामोदर घाटी निगम द्वारा विशिष्ट ठेका की विशिष्ट मांग अनुबंध हेतु उनके साथ करार करके घाटी क्षेत्र में रेलवे, स्टील, कोयला, अन्य औद्योगिक प्रयोक्ता, जेबीवीनएल<sup>14</sup> और डब्ल्यूबीएसईडीसीएल<sup>15</sup> जैसे बुनियादी कोर के फर्म उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की गई। फर्म के उपभोक्ताओं की अनुबंध मांग और उनके द्वारा अध्यारहित विद्युत को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 7.3: फर्म के उपभोक्ताओं की मांग और उनके द्वारा अध्यारहित विद्युत की स्थिति

अवधि	उपभोक्ताओं की संख्या की सीमा	मिलियन एम्पीयर में मांग की सीमा	वोल्ट ठेका	राज्य	विद्युत की अधिकता वाले फर्म उपभोक्ताओं की संख्या	प्रतिशत में विद्युत निकासी की सीमा	महीनों में निकासी की अवधि
2013-14 से 2017-18	270 से 291	0.25 से 220		पश्चिम बंगाल	77	0.09 से 207.43	2 से 43
				झारखंड	81	0.10 से 1090.78	

लेखापरीक्षा ने पाया कि विद्युत की अधिक निकासी के कारण विद्युत लाइन की ट्रिपिंग की अनेक घटनाएँ हुईं जिसके कारण विद्युत आपूर्ति में व्यवधान हुआ। आगे यह भी देखा गया कि:

- डीवीसी ने घाटी क्षेत्र में नए व्यवसाय के अवसरों का लाभ उठाने के लिए भावी फर्म उपभोक्ताओं की पहचान की रणनीति तैयार नहीं की थीं।
- विपणन टीम ने संभावित औद्योगिक उपभोक्ताओं को उनकी विद्युत आवश्यकताओं के साथ-साथ, बोर्ड को मूल्यांकन के लिए प्रतियोगियों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों को दर्शाते हुए कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की;
- डीवीसी ने भावी फर्म उपभोक्ताओं को ध्यान आकर्षित करने के लिए घाटी क्षेत्र में अपने विद्युत की बिक्री का प्रचार-प्रसार नहीं किया; और

<sup>13</sup> फर्म उपभोक्ता वे उपभोक्ता हैं जिनके लिए बिजली की फर्म से बिक्री की जाती है।

<sup>14</sup> झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड

<sup>15</sup> पश्चिमी बंगाल राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड

- इसने निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अध्याहरण करने वाले उपभोक्ताओं से उनकी अनुबंध ठेका मांग को बढ़ाने के लिए संपर्क नहीं किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अध्याहरण वाले उपभोक्ताओं की ठेका की अनुबंध मांग में वृद्धि से अधिशेष बिजली के उपभोग में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान 637 मेगावाट की ठेका मांग अनुबंध की कुल वृद्धि में से 356 मेगावाट की वृद्धि 2015-16 में जेबीवीएनएल की अनुबंध मांग में वृद्धि के कारण हुई थी।

प्रबंधन ने स्वीकार (जनवरी 2019) किया कि घाटी क्षेत्र में समग्र भार में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई थी और प्रणाली की कमी को दूर कर और प्रतिभूति जमा (एसडी) को प्रस्तुत करने के लिए उपभोक्ताओं से आग्रह करके अनुबंध मांग को बढ़ाने की गुंजाइश थी। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2019) कि डीवीसी ने क्षेत्र में नये उपभोक्ताओं की संभावना की खोज के लिए उपभोक्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था।

हालांकि, तथ्य यह है कि अप्रैल 2013 से मार्च 2018 के दौरान औद्योगिक फर्म उपभोक्ताओं (सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश उपभोक्ताओं जैसे रेलवे, कोयला, सैल, जेबीवीएनएल और डब्ल्यूबीएसईडीसीएल की छोड़कर) की संख्या में वृद्धि नहीं हुई थी और यह अप्रैल 2013 में 167 और मार्च 2018 में 161 थी।

## (ग) विद्युत की अल्पावधि बिक्री

### (i) अल्पावधि एक्सचेंज बिक्री

दामोदार घटी निगम ने ऐसे एक्सचेंजों के माध्यम से अधिशेष विद्युत की बिक्री के लिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) की सदस्यता (मार्च 2011) प्राप्त की। इसने सितम्बर 2013 के बाद से इन एक्सचेंजों को विद्युत की बिक्री करना शुरू किया। इन एक्सचेंजों के माध्यम से 300 मेगावाट तक विद्युत का व्यापार करने का निर्णय (मार्च 2011) किया था। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान आईईएक्स के माध्यम से डीवीसी द्वारा बेची गई विद्युत का विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 7.4: इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को बेची गई विद्युत

वर्ष	डीवीसी द्वारा आईईएक्स के माध्यम से बेची गई विद्युत (मिलियन यूनिट)	आईईएक्स में कारोबार किए गए कुल विद्युत (मिलियन यूनिट) (अखिल भारतीय स्तर आधार पर)	आईईएस के माध्यम से डीवीसी के शेयर की बिक्री (प्रतिशत)	डीवीसी द्वारा औसत प्रापण (₹ प्रति यूनिट)
2013-14	46.86	26460	0.18	4.12
2014-15	179.55	28170	0.64	3.98
2015-16	170.65	33980	0.50	3.29
2016-17	575.09	39840	1.44	2.83
2017-18	1441.86	44860	3.21	3.39

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- 2013-14 से 2017-18 के दौरान आईईएक्स को डीवीसी द्वारा विद्युत की बिक्री धीरे-धीरे बढ़ी, हालांकि, इसकी सीमा एक्सचेंज को बेची गई कुल विद्युत के संदर्भ में 0.18 प्रतिशत से 3.21 प्रतिशत तक थी;
- एक्सचेंज पर प्राप्त मूल्य की औसत दर डीवीसी द्वारा उत्पन्न विद्युत द्वारा विद्युत की औसत ऊर्जा लागत से अधिक थी जिसने निश्चित लागत के एक हिस्से की वसूली संभव बना दी।
- 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान 836 मेगावाट से 1666 मेगावाट तक की अधिशेष विद्युत होने के बावजूद, एक्सचेंज पर व्यापार करने की सीमा दिसम्बर 2016 तक 300 मेगावाट रखी गई थी।

लेखापरीक्षा ने उन परिस्थितियों पर विचार किया जहां विद्युत स्टेशन विद्युत उत्पादन के लिए उपलब्ध थे और आईईएक्स पर बाजार की कीमतें<sup>16</sup> बिजली उत्पादन की ऊर्जा लागत से अधिक थी और यह पाया कि डीवीसी ने 8698.36 मिलियन यूनिट<sup>17</sup> (एमयू) विद्युत का उत्पादन किया और 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इसे आईईएक्स को उसी को बेचकर ₹510.60 करोड़ का लाभ प्राप्त कर सकता था जिसके लिए बाजार उपलब्ध था।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2019) कि एक्सचेंज के माध्यम से विद्युत की बोली लगाने की मात्रा की सीमा विद्युत की सतत् एवं विश्वसनीय अनुपलब्धता के कारण 300 मेगावाट तक

<sup>16</sup> एक नियत अवधि में सभी बिजली विक्रेताओं द्वारा एक्सचेंज के माध्यम से प्राप्त औसत कीमत।

<sup>17</sup> इसका मूल्यांकन मेजिया थर्मल पावर स्टेशन (एमटीपीएस) के यूनिट I से IV और बोकारो थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस) के यूनिट I से III को केवल कम सिस्टम डिमांड (एलएसडी) में किया गया है।

प्रतिबंधित थी। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2019) कि मार्च 2018 में ऐसी बोली की दर का पता लगाने के लिए नियमों में छूट के साथ एक्सचेंज पर बोली लगाने के लिए अबांटित अधिशेष विद्युत की सीमा बढ़ाकर 1000 मेगावाट कर दी गई।

प्रबंधन/मंत्रालय का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीवीसी ने विद्युत की बोली लगाने की मात्रा को 400 मेगावाट (जनवरी 2017) से 1000 मेगावाट (फरवरी 2018) तक चार गुणा सीमा को बढ़ाया गया है जबकि विश्वसनीय और सुसंगत विद्युत बहुत पहले ही उपलब्ध थी और एक्सचेंजों के माध्यम से विद्युत की बोली की मात्रा में वृद्धि की गुंजाइश थी।

## (ii) निविदा के माध्यम से अल्पावधि बिक्री

दामोदर घाटी निगम ने नुकसान को न्यूनतम करने के लिए निर्धारित प्रभार के एक भाग को छोड़कर प्रतियोगी दर परबोली के माध्यम से विद्युत व्यापारियों को अल्पावधि के आधार पर अधिशेष विद्युत को बेचने का निर्णय (जुलाई 2014) किया हालांकि, अल्पावधि बोली में भागीदारी 2015-16 से शुरू हुई।

रिकार्डों की समीक्षा से पता चला कि डीवीसी के द्वारा 2015-16 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान ऐसे 29 अल्पावधि बोलियों 710.63 एम.यू की औसत वार्षिक बिक्री सहित 2015-16 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान ऐसे 29 अल्पावधि बोलियों में सफल रहा था जो चौबासों छोटे कर (आरटीसी) के आधार पर केवल 81 मेगावाट<sup>18</sup> के समतुल्य थी। डीवीसी ने 2017-18 में 23 बोलियों में भाग लिया और 12 बोलियों में सफल रहा था। हालांकि, 2015-16 से 2016-17 के दौरान ऐसी बोलियों में भागदारियों से संबंधित रिकार्डों का उचित रखरखाव नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि डीवीसी ने असफल बोली के लिए कारणों के विश्लेषण पर रिपोर्ट तैयार नहीं की और उसके बारे में बोर्ड को अवगत नहीं कराया गया।

प्रबंधन/मंत्रालय द्वारा अल्पकालिक बोलियों में भागीदारी और असफल बोलियों के कारणों की विश्लेषण करने वाली रिपोर्ट तैयार नहीं करने से संबंधित रिकार्ड नहीं रखे जाने पर कोई उत्तर नहीं गया।

---

<sup>18</sup> 81 मेगावाट (710.63 \* 10 मिलियन) यूनिटों/24 \* 365 \* 1000

### 7.1.3.3 विद्युत की अलाभकारी खरीद

दामोदर घाटी निगम ने अपनी नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ)<sup>19</sup> की पूर्ति के लिए 40 मेगावाट<sup>20</sup> की सौर ऊर्जा की खरीद के लिए मार्च 2011 और जनवरी 2012 में क्रमशः एनवीवीएनएल और एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी) के साथ पीपीए किया गया। डीवीसी ने एनवीवीएनएल (20 मेगावाट) और एनटीपीसी (20 मेगावाट) से 40 मेगावाट की तापीय ऊर्जा को खरीदने के लिए भी सहमती हुई।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि डीवीसी के पास उपयुक्त करारों को करने के समय अधिशेष विद्युत उपलब्ध थी।

दामोदर घाटी निगम ने अगस्त 2013 और मार्च 2014 में क्रमशः एनवीवीएनएल और एनटीपीसी से करार के अनुसार ताप विद्युत का आहरण शुरू किया। ऐसी थर्मल पावर की खरीद की औसत वार्षिक लागत 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ₹3.33 प्रति यूनिट से ₹3.80 प्रति यूनिट के बीच है, जो इसकी ऊर्जा उत्पादन लागत से अधिक था, जो ₹2.34 प्रति यूनिट से 2.67 प्रति यूनिट के बीच थी। इसलिए थर्मल पावर की खरीद वाणिज्यिक रूप न्यायसंगत नहीं थी। डीवीसी ने बाद में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के साथ 40 मेगावाट से अधिक थर्मल पावर के आवंटन खत्म करने के मामले को आगे बढ़ाया, जिसने दिसम्बर 2017 से उक्त-आवंटनको समाप्त किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि डीवीसी ने 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान एनवीवीएनएल से थर्मल पावर की 925.05 एमयू खरीदी और ₹105.34 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अकेले सौर ऊर्जा की खरीद डीवीसी की आरपीओ को पूरा कर सकती थी और डीवीसी को उपरोक्त अवधि के दौरान ताप विद्युत के 925.05 एमयू की खरीद के लिए ₹105.34 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। जिसका उत्पादन वह खुद उस अवधि में कर सकता था।

प्रबंधन ने अपने जवाब (जनवरी 2019) में सौर ऊर्जा के साथ ताप विद्युत की खरीद के लिए करार करने के लिए कोई कारण नहीं बताया जबकि डीवीसी के पास अधिशेष विद्युत उपलब्ध थी। हालांकि, मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2019) कि डीवीसी द्वारा 40 मेगावाट के बंडल थर्मल पावर के समर्पण से घाटी क्षेत्र में अपने आंतरिक उपभोक्ताओं के भार की मांग को पूरा करने की क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ता।

<sup>19</sup> एनवीवीएनएल 20 मेगावाट, एनटीपीसी तालचेर इकाई 10 मेगावाट और उंचाहर इकाई 10 मेगावाट

<sup>20</sup> नवीकरणीय खरीद दायित्व का मतलब है नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली की खरीद के लिए आवश्यक बाध्यता

मंत्रालय का जवाब इस तथ्य के अनुरूप नहीं है क्योंकि 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान डीवीसी में 836 मेगावाट से लेकर 1666 मेगावाट तक की अधिशेष विद्युत थी जैसा कि तालिका के पैरा 7.1 में दी गई है। इसके अलावा, बंडल की गई थर्मल पावर को समर्पण करने पर आंतरिक उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए डीवीसी की अक्षमता के संबंध में मंत्रालय का जवाब, उस अवधि के 322 मेगावाट से 972 मेगावाट तक की अधिशेष विद्युत के उनके स्वयं के मूल्यांकन के आलोक में देखा जाना चाहिए जैसा कि उन्होंने पैरा 7.1.3 के उत्तर में कहा है।

#### 7.1.3.4 छूट न मिलने के कारण ₹7.90 करोड़ तक विद्युत की खरीद लागत में वृद्धि

एनवीवीएनएल और एनटीपीसी से विद्युत खरीद के अलावा डीवीसी ने सितम्बर 2006 से अगस्त 2009 तक की अवधि के दौरान पीपीए की लंबी शर्तों के अनुसार विभिन्न स्रोतों<sup>21</sup> से विद्युत की खरीद की। विद्युत विक्रेताओं ने एक निर्दिष्ट समय सारणी के अन्दर विद्युत बिलों के निपटान के लिए छूट की अनुमति दी। डीवीसी ने 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ऐसे बिलों के निपटान के लिए बैंकों से कैश क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि विद्युत बिलों के समय पर भुगतान के मामलों में छूट की मात्रा ऐसे बिलों के समय पर भुगतान के लिए कैश क्रेडिट की आवश्यकता के कारण अतिरिक्त बोझ ब्याज से अधिक था। हालांकि, डीवीसी ने 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान छूट की लाभ प्राप्त करने के लिए समानांतर समय सीमा के अन्दर ऐसे विद्युत बिलों का भुगतान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इसके फलस्वरूप, डीवीसी को बिजली के बिलों में छूट और उपरोक्त अवधि के दौरान अतिरिक्त ब्याज बोझ के बीच अंतर के कारण ₹7.90 करोड़ बचाने का अवसर खो दिया।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2019) कि छूट का लाभ उठाने के परिणामस्वरूप अंततः खर्च में बचत नहीं हुई क्योंकि तदनुसार टैरिफ के माध्यम से संबंधित आय कम हो गई क्योंकि टैरिफ में निवल विद्युत खरीद लागत की अनुमति थी। प्रबंधन का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीवीसी ने 2013-14 से 2017-18 के दौरान रूक-रूक कर कुछ बिलों पर ऐसी छूट का लाभ लिया था, और लेखापरीक्षा ने पाया कि डीवीसी द्वारा दायर टैरिफ याचिका में विद्युत नियामक आयोग में टैरिफ याचिका में ऐसी छूट पर विचार नहीं किया गया था।

हालांकि, मंत्रालय ने कहा कि (अप्रैल 2019) कि टैरिफ की प्रक्रिया को संतुलित बनाने के दौरान, संबंधित नियामक आयोग ने डीवीसी की बिजली खरीद लागत दर माना है और जैसा कि डीवीसी ने अपने टैरिफ याचिका में दावा किया है। हालांकि, सच यह है कि सकल

<sup>21</sup> मैथन पावर लिमिटेड (एमपीएल), पीटीसी और एनएचपीसी

विद्युत खरीद लागत को वार्षिक लेखाओं में बिना छूट राशि में कटौती में बुक किया गया था, जिसका से टैरिफ याचिका में डीसीवी द्वारा दावा किया गया था और संबंधित नियामक आयोग द्वारा इसकी अनुमति दी गई थी। इसलिए छूट का लाभ उठाने के परिणामस्वरूप डीवीसी को बचत होती।

### 7.1.3.5 ऋण सुरक्षा तंत्र

#### (क) लम्बी अवधि पीपीए/द्विपक्षीय बिक्री

विद्युत खरीददाताओं के साथ डीवीसी द्वारा किए गए लम्बी अवधि पीपीए के नियमों एवं शर्तों के अनुसार डीवीसी द्वारा विद्युत की आपूर्ति के लिए बिलों का भुगतान एक सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित बैंक के साथ डीवीसी के पक्ष में स्थापित अपरिवर्तनीय लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) के माध्यम से किया जाना अपेक्षित था। एलसी की कीमत विद्युत की आपूर्ति के लिए एक महीने की अनुमानित बिलिंग का 105 प्रतिशत कवर करेगा। यह भी निर्धारित किया गया था कि पिछले 12 महीनों के बिलिंग के औसत के आधार पर एलसी के मूल्य की अर्धवार्षिक समीक्षा की जाएगी और तदनुसार एलसी की राशि को बढ़ाया/घटाया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीवीसी ने 2013-14 में 2017-18 तक की अवधि के दौरान एलसी के मूल्य की समीक्षा का कार्य किया गया। यह भी पाया गया था कि दीर्घकालिक पीपीए के तहत 14 विद्युत खरीददारों में से 9 से एलसी एकत्रित नहीं की गई थी। यह देखा गया था कि जिन पांच विद्युत खरीददारों जिनसे ₹150.31 करोड़ मूल्य की एलसी एकत्रित किया था, उनपर बकाया देय राशि ₹65.77 करोड़ थी जबकि नौ विद्युत खरीददारों से जिनसे एलसी मूल्य ₹334.71 करोड़ एकत्रित नहीं किया गया था जिनकी बकाया देय राशि का मूल्य ₹1050 करोड़ था (जून 2018)।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2019) कि लाभार्थी एलसी जमा कराने के लिए अनिच्छुक थे। मंत्रालय ने भी प्रबंधन के विचारों का समर्थन किया (अप्रैल 2019) था। हालांकि, यह दावा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लाभार्थियों को पीपीए की शर्तों के अनुसार एलसी प्रस्तुत करना था।

#### (ख) फर्म उपभोक्ता

झारखंड और बंगाल के विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों के अनुसार, घाटी क्षेत्र में फर्म उपभोक्ताओं को निर्दिष्ट नकद जमा और/या बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति प्रस्तुत करना अपेक्षित था। फर्म उपभोक्ताओं के बकाया ऋण के प्रति प्रतिभूति की स्थिति को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 7.5: फर्म उपभोक्ताओं से प्रतिभूति जमा (एसडी) और बकाया ऋण

राज्य	उपभोक्ताओं की संख्या				₹ करोड़ में			
	कुल <sup>22</sup>	एसडी के बिना	एसडी के साथ	सुरक्षा के प्रति स्थापन की जरूरत है	एसडी के बिना पार्टियों से बकाया		एसडी के साथ पार्टियों से बकाया	एसडी प्रस्तुत करने वाले पक्षों से एकत्र की गई प्रतिभूति की राशि
					>3 वर्ष	कुल		
झारखंड	69	30	39	0	85	123	42	90
पश्चिमबंगाल	92	50	22	20	279	437	89	102
<b>कुल</b>	<b>161</b>	<b>80</b>	<b>61</b>	<b>20</b>	<b>364</b>	<b>560</b>	<b>131</b>	<b>192</b>

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि डीवीसी ने जिन 61 उपभोक्ताओं से ₹192 करोड़ का प्रतिभूति मूल्य एकत्रित किया गया था, उनके केवल ₹131 करोड़ बकाया था जबकि 80 उपभोक्ताओं से जिनमें ₹560 करोड़ बकाया था से कोई प्रतिभूति एकत्र नहीं की थी, जो दर्शाता है कि डीवीसी के लिए प्रतिभूति का संग्रह लाभकारी था। हालांकि, पीपीए और विद्युत विनियमनों में निर्धारित ऋण सुरक्षा तंत्र के कार्यान्वयन में कमियां थी।

प्रबंधन/ मंत्रालय ने कहा (जनवरी/ अप्रैल 2019) कि एसडी प्रस्तुत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में सुधार हो रहा था। जवाब को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाए कि सभी उपभोक्ताओं के संबंध में एसडी एकत्रित नहीं की गई थी।

#### 7.14 निष्कर्ष

दामोदर घाटी निगम ने अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी भी निर्धारित विपणन नीति को मंजूरी नहीं दी है, जोकि सभी संभावित अवसरों और रणनीतियों के माध्यम से बिजली के विपणन के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों को मानते हुए समय-समय पर अपनाई जाती है। यद्यपि विद्युत के विपणन के लिए एक विपणन टीम गठित की गई थी, लेकिन इसके उद्देश्यों का प्राप्ति के लिए समय सीमा के साथ विशिष्ट लक्ष्य सहित कोई रोड मैप तय नहीं किया गया था। डीवीसी ने मार्च 2018 तक 1000 मेगावाट की कुल बंधी हुई क्षमता के साथ 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान 2700 मेगावाट की स्थापित क्षमता को जोड़ा, जिसमें से केवल 300 मेगावाट की उपरोक्त अवधि के दौरान बांधा गया था। विद्युत एक्सचेंज के माध्यम से विद्युत की बिक्री में वृद्धि की गुंजाइश थी जिसका डीवीसी द्वारा लाभ नहीं उठाया गया था जिसके परिणामस्वरूप योगदान को पुनर्प्राप्ति करने का अवसर खो गया था। घाटी क्षेत्र में फर्म उपभोक्ताओं के साथ व्यवसायिक दोहन के लिए

<sup>22</sup> जेबीवीएनएल, डब्ल्यूबीएसडीसीएल, रेलवे आदि जैसे बहुबिंदु उपभोक्ताओं के अलावा

पहल में कमी थी। सौर ऊर्जा के साथ थर्मल पावर की खरीद का डीवीसी का निर्णय किफायती और न्यायसंगत नहीं था। ऋण सुरक्षा तंत्र में भी कमी थी।

## 7.2 आरटीपीएस II को कार्यान्वित करने का अनुचित निर्णय

**दामोदर घाटी निगम ने इक्विटी योगदान की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन परियोजना के चरण-II के कार्यान्वयन के लिए अनुचित निर्णय के कारण ₹138.92 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया।**

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने 11<sup>वीं</sup> पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षमता वृद्धि कार्यक्रम के अनुसार, 600 मेगावाट (एमडब्ल्यू) की दो इकाइयों के साथ रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन (आरटीपीएस-I) के चरण-I की स्थापना का निर्णय (मार्च 2006) लिया। आरटीपीएस-I की उक्त इकाइयों को मार्च 2016 में कमीशन किया गया था। 2012 तक भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विद्युत नीति के माध्यम से परिकल्पित “सभी को बिजली” के उद्देश्य को पूरा करने के लिए डीवीसी ने (जून 2010) पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में 660 मेगावाट की दो इकाइयों से युक्त रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन (आरटीपीएस-II) के चरण-II की स्थापना का निर्णय लिया, जबकि आरटीपीएस-I कार्यान्वयन के अधीन था।

आरटीपीएस-II परियोजना की शुरुआत में अनुमानित लागत ₹8077.12 करोड़ थी जिसे बाद में संशोधित करके ₹9088.99 करोड़ किया गया था। आरटीपीएस-II के वित्तपोषण के प्रतिरूप को 70:30 के ऋण और इक्विटी अनुपात के रूप में माना गया था। आरटीपीएस-II की इक्विटी निधियन के लिए आंतरिक स्रोतों के सृजन में कमी को ध्यान में रखने हुए, मुख्य विद्युत उपभोक्ताओं से बकायों की प्राप्ति न होने और थर्मल पावर प्लांट के कम प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) के कारण, डीवीसी ने आरटीपीएस-II के कार्यान्वयन के लिए इक्विटी निधियन की उपलब्धता से संबंधित जोखिम का मूल्यांकन और विश्लेषण करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय (सितम्बर 2011) किया। समिति ने संकेत दिया (जनवरी 2012) कि भारत सरकार (जीओआई) एक मुख्य उपभोक्ता से वित्तीय सहायता पूंजी/इक्विटी योगदान के रूप में और झारखंड राज्य बिजली बोर्ड (जेएसईबी) एक मुख्य उपभोक्ता से बकाया देयों की वसूली, आरटीपीएस-II के कार्यान्वयन के लिए पूर्व आवश्यकताएं थीं। डीवीसी ने अखिरकार आरटीपीएस-II के कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़ने का निर्णय (मार्च 2012) किया।

दामोदर घाटी निगम ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) से ₹6,362.29 करोड़ के अविध ऋण 11.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर के सहित की व्यवस्था (अप्रैल 2013) की, जिससे क्षमता की कम से कम 70 प्रतिशत मात्रा के लिए डिस्कोम के साथ विद्युत खरीद समझौता (पीपीए) हस्ताक्षर करने की पूर्व-शर्तों के साथ आरटीपीएस-II

के ऋण भाग के वित्तीयन के लिए और स्वयं के स्रोतों से इक्विटी का आनुपातिक निवेश किया है। डीवीसी ने परियोजना के काम को पूरा करने के लिए आरईसी से अवधि ऋण के रूप में ₹401 करोड़ आहरित (अगस्त/ सितम्बर 2013) किए।

मुख्य संयंत्र के सिविल कार्यों, निर्माण विद्युत की आपूर्ति और सिविल परामर्श के लिए कार्य आदेश क्रमशः अगस्त 2013, सितम्बर 2013 और मार्च 2014 में जारी किए गए थे। हालांकि, मुख्यतः आरईसी के साथ ऋण समझौते की स्थिति के अनुसार अपने स्वयं के स्रोतों से इक्विटी फंड की व्यवस्था करने में असमर्थता के कारण डीवीसी ने अंततः आरटीपीएस-II परियोजना को छोड़ने का फैसला किया (दिसम्बर 2015)। आरईसी को ₹401 करोड़ का अवधि ऋण ₹1.15 करोड़ के पूर्व-भुगतान प्रभार के साथ चुकाया गया था। इसी बीच में, डीवीसी ने अगस्त 2013 से सितम्बर 2016 तक की अवधि के लिए अवधि टर्म लोन पर आरईसी को ₹140.43 करोड़ का ब्याज दिया।

इसलिए, लेखापरीक्षा ने निम्नानुसार पाया:-

- आरटीपीएस-II के लिए ₹2727 करोड़ इक्विटी योगदान राशि के रूप में डीवीसी द्वारा अपने स्वयं के आंतरिक संसाधनों से वित्त पोषित करने आवश्यकता थी, इसलिए डीवीसी को जेएसईसी से बकाया की वसूली में सुधार सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी और आरटीपीएस-II परियोजना के लिए आगे बढ़ने के लिए अंतिम निर्णय लेने से पहले वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की इक्विटी योगदान का अनुमोदन/ पुष्टि प्राप्त किया जाना चाहिए था।
- दामोदर घाटी निगम ने आरटीपीएस-II (1200 मेगावाट) से केवल (सितम्बर 2012) 400 मेगावाट के लिए विद्युत खरीद करार (पीपीए) किया था जो घाटी क्षेत्र में विद्युत की कम मांग और परिणामस्वरूप कम पीएलएफ सूचित करता है। यद्यपि आरटीपीएस-II की क्षमता के कम से 70 प्रतिशत मात्रा के लिए डिस्कोम सहित पीपीए में प्रवेश करने के लिए आरईसी के साथ किए गए ऋण करार की पूर्व-शर्त थी, लेकिन इसके लिए डीवीसी द्वारा कोई पीपीए दर्ज नहीं किया गया था। आगे यह पाया गया कि डीवीसी ने आरटीपीएस-II के लिए 400 मेगावाट के द्विपक्षीय समझौता के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड से आग्रह किया और इसके घाटी क्षेत्र में संतुलन क्षमता का उपयोग करने का भी प्रस्ताव था। हालांकि, आरटीपीसी-II के लिए पीपीए में प्रवेश करने का कोई लाभदायक परिणाम नहीं मिला था।

इस प्रकार, इक्विटी योगदान की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना आरटीपीएस-II के कार्यान्वयन के लिए डीवीसी का निर्णय विवेकपूर्ण, न्यायसंगत और यथार्थपरक नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹138.92 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ (₹141.58 करोड़ के कुल ऋण पर ब्याज और पूर्वभुगतान का शुल्क, ठेकेदार से वसूल किया गया ₹2.66 करोड़ का ब्याज कम किया)।

प्रबंधन ने दावा किया (अक्टूबर 2018) कि आरटीपीएस-II परियोजना के कार्यान्वयन का निर्णय इक्विटी योगदान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद जान-बूझकर लिया गया था। लेकिन कम मांग के साथ विद्युत परिदृश्य में परिवर्तन के कारण, नई इकाईयों निष्क्रिय रही और आंतरिक संसाधनों का सृजन नहीं कर सकी, जैसा कि पहले परिकल्पित किया गया था। प्रबंधन ने आगे दावा किया कि परियोजना के लागत लाभ विश्लेषण पर सम्यक तत्परता अध्ययन के लिए लगे हुए सलाहकार के द्वारा परियोजना के पुनरूद्धार की संभावना का पता लगाया जा रहा है। मंत्रालय भी प्रबंधन के विचार से सहमत (जनवरी 2017) है।

उपरोक्त दावा मान्य नहीं हैं क्योंकि केवल 400 मेगावाट का पीपीए आरटीपीएस-I के लिए डीवीसी के (सितम्बर 2012) के साथ था और आरटीपीएस-II के लिए कोई पीपीए नहीं था जो घाटी क्षेत्र में बिजली की कम मांग को दर्शाता है। इसके अलावा झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएमईबी) से बकाया देयो की वसूली, मुख्य उपभोक्ता, आरटीपीएस-II के कार्यान्वयन के लिए एक पूर्व-मांग की थी, लेकिन जेएमईबी के देयों का संचयन मार्च 2011 को ₹2,302 करोड़ से बढ़कर मार्च 2012 को ₹2,963 करोड़ हो गया।

### **7.3 निर्धारित प्रभार की वसूली न होने के कारण परिहार्य नुकसान**

**दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट-I के संधारणीय संचालन और पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) को बिजली की आपूर्ति के लिए अस्थायी राख तालाबों से राख निकालने की दिशा में प्रारंभिक पहल नहीं की। इसके कारण डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा पीपीए को समाप्त कर दिया, जिसके लिए दामोदर घाटी निगम को निर्धारित प्रभार की वसूली न होने के कारण ₹71.25 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा।**

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने प्रत्येक 500 मेगावाट की क्षमता की दो यूनिट (यूनिट-I और II) के साथ 1000 मेगावाट (एमडब्ल्यू) की विद्युत के सृजन के लिए कोडरमा थर्मल

पॉवर स्टेशन (केटीपीएस) की स्थापना की। यूनिट-I का वाणिज्यिक परिचालन जुलाई 2013 में चालू हुआ। केटीपीएस के लिए स्थायी राख तालाब भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्मित नहीं हो सका। इसलिए, दो अस्थायी राख तालाबों को इकाईयों के संचालन के लिए एक आकस्मिक उपाय के रूप में बनाया गया था। डीवीसी ने 25 वर्षों के लिए केटीपीएस से विद्युत की 200 मेगावाट की आपूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यू बीएसईडीसीएल) के साथ एक विद्युत खरीद करार (पीपीए) किया (अक्टूबर 2013)। केटीपीसी से डब्ल्यूबीएसईडीसीएल को डीवीसी द्वारा विद्युत की आपूर्ति 2014 और 2015 के अप्रैल से सितम्बर तक की छह महीने की अवधि के दौरान की गई थी और उसके बाद अप्रैल 2016 से लगातार की जा रही थी।

हालांकि, यह देखा गया था कि यूनिट-I स्थायी संचालन अस्थायी राख तालाबों में गीली राख निपटान क्षेत्र की अपर्याप्तता के कारण हासिल नहीं किया गया था, जो यूनिट-I और उसके बाद के संचालन के दौरान राख के घोल से भरे हुए थे। इस तरह से भरे हुए अस्थायी राख तालाबों से राख निकालने की पहल यूनिट-I के निर्बाध संचालन के लिए बेहद आवश्यक थी। हालांकि, यह पाया गया था कि यद्यपि अस्थायी राख तालाबों से राख निकालने के कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया मई 2013 में शुरू की गई थी, इसके लिए कार्य आदेश जून 2014 में जारी किए गए थे अर्थात् 13 महीने की देरी के बाद यह देखा गया था कि यूनिट-I ने गीली राख निकालने की समस्या के कारण पीपीए में निर्धारित अप्रैल 2014 से डब्ल्यूबीएसईडीसीएल को विद्युत की आपूर्ति हेतु संचालित नहीं हो सका था। डीवीसी ने विद्युत की आपूर्ति की नियत तारीख नहीं बतायी यद्यपि डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा बार-बार पूछी गई थी। इसी बीच में, डीवीसी ने बताया (13 जून 2014) की यूनिट-II की वाणिज्यिक संचालन तारीख (सीओडी) 14 जून 2014 होगी। हालांकि, सीओडी की ऐसी घोषणा सीईआरसी के नियमन के अनुरूप नहीं थी जो निर्धारित करता है कि जनरेटिंग कंपनी की सीओडी को लाभार्थियों को उत्पादन कंपनी द्वारा सात दिनों के नोटिस के बाद सफल परीक्षण के माध्यम से शुरू करना चाहिए। यह शर्त पीपीए में भी शामिल की गई थी। डब्ल्यूबीएसईडीसीएल ने डीवीसी को डिफाल्ट नोटिस जारी (जुलाई 2014) किया जिसमें बताया गया कि पीपीए की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अप्रैल 2014 में तीन महीने की लगातार अवधि के लिए डीवीसी द्वारा विद्युत की गैर-आपूर्ति के कारण तथा सीआईआर नियमन के अनुसार यूनिट-II के सीओडी की गैर-उद्घोषणा के कारण अप्रभावी और निष्क्रिय हो गया। डीवीसी ने जून 2014 से सितम्बर 2014 (₹18.20 करोड़) और अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015 (₹53.05 करोड़) तक की अवधि के लिए ₹71.25 करोड़ के राशि के टीपीएस इकाईयों के नियत शुल्क के 20 प्रतिशत की वसूली के लिए डब्ल्यूबीएसईडीसीएल पर

चालानों को उठाया गया। हालांकि, डब्ल्यूबीएसईडीसीएल ने डीवीसी के भाग पर चूक के कारण पीपीए के अप्रभावी होने के आधार पर नियत शुल्क के भुगतान में मना कर दिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीवीसी को गीली राख की निपटान की बाधाओं के बारे में अच्छी तरह से पता था और अस्थायी राख तालाबों से राख के खोल को खाली करना यूनिट-1 के स्थायी संचालन के लिए एकमात्र उपलब्ध समाधान था। इसके अलावा, डीवीसी को पीपीए के अनुसार अप्रैल 2014 में डब्ल्यूबीएमईडीसीएल को अबाधित विद्युत का आपूर्ति अपेक्षित थी। इसके बावजूद, डीवीसी ने अस्थायी राख तालाबों से राख को निकालने के लिए शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई नहीं की और डीवीसी की ओर से पीपीए की शर्तों में चूक के परिणामस्वरूप अप्रैल 2014 से तीन महीने की अवधि के दौरान लगातार डब्ल्यूबीएसईडीसीएल को विद्युत की आपूर्ति के लिए यूनिट-1 को संचालित नहीं कर सका। इसके अलावा, डीवीसी द्वारा यूनिट-1 के सीओडी घोषणा में सीईआरसी के दिशानिर्देशों और पीपीए की शर्तों के अनुरूप नहीं थी। इन सभी के परिणामस्वरूप डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा पीपीए की समाप्ति हुई, जिसके कारण अंततः केटीपीएस के यूनिट-1 और 11 के निर्धारित शुल्क की वसूली नहीं होने के कारण डीवीसी को ₹71.25 करोड़ का नुकसान हुआ। इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि डीवीसी को नए उपभोक्ताओं तक निश्चित शुल्क (प्रति माह ₹14 करोड़ का औसत) की वसूली नहीं करने के इस आवर्ती नुकसान को अवशोषित करना है, क्योंकि ऐसी विद्युत (200 मेगावाट) की खरीद निश्चित ही की जाती है।

दामोदर घाटी निगम ने डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा पीपीए की चुनौतीपूर्ण समाप्ति और डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा निर्धारित शुल्क की वसूली के मामले को संदर्भित (सितम्बर 2018) किया। मामला सीईआरसी के आगे लंबित (मार्च 2019) था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया यद्यपि डीवीसी के कानूनी विशेषज्ञ का कहना है कि डीवीसी द्वारा इसके कार्यान्वयन में चूक के कारण डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा पीपीए के समापन के लिए पर्याप्त आधार था।

प्रबंधन के कहा (सितम्बर 2018) कि सभी प्रयासों के बावजूद स्थायी राख तालाब के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की समस्या डीवीसी से प्रभावित नहीं हो सकती है और बिजली की आपूर्ति नहीं होने के कारण डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा पीपीए को समाप्त कर दिया गया था। प्रबंधन की धारणा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक स्थायी राख तालाब के निर्माण के लिए भूमि की अनुपलब्धता एक ज्ञात तथ्य था और दो अस्थायी राख तालाब थे, इसलिए, इकाइयों के संचालन के लिए एक आकस्मिक उपाय के रूप में बनाया गया था। चूंकि अस्थायी राख तालाबों को राख के घोल से भर दिया गया था, इसलिए यूनिट-1 के स्थायी संचालन के लिए राख की निकासी के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए थी और पीपीए

के प्रावधान के अनुसार अप्रैल 2014 में डब्ल्यूबीएसईडीसीएल को बिजली की आपूर्ति की किया जाना चाहिए था।

हालांकि, राख निकासी गतिविधि के लिए कार्य आदेश जून 2014 में जारी किया गया था और डीवीसी अप्रैल 2014 से तीन महीने की अवधि में बिजली की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं था, जिसके कारण डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा पीपीए को समाप्त कर दिया गया था। हालांकि, प्रबंधन ने सीईआरसी दिशानिर्देशों और पीपीए शर्तों के अनुरूप नहीं होने पर यूनिट-II की सीओडी की घोषणा के संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई जो पीपीए की समाप्ति के लिए डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा उद्धृत कारणों में से एक था।

प्रबंधन ने आगे दावा किया कि डीवीसी ने नियत शुल्क के कारण कोई नुकसान नहीं उठाया क्योंकि इसे उपभोक्ता फर्म, अल्पावधिक बिक्री और एक्सचेंज के माध्यम से बिक्री से वसूल किया गया था। प्रबंधन का दावा मान्य नहीं है क्योंकि अप्रैल 2014 में सितम्बर 2014 और अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015 (10 महीने)<sup>23</sup> के दौरान, डीवीसी हरियाणा (100 मेगावाट) और कर्नाटक (250 मेगावाट) के साथ पूर्व-मौजूद पीपीए के लिए लेखांकन के बाद 216 मेगावाट<sup>24</sup> (केटीपीएस की घोषित क्षमता<sup>25</sup> 0 मेगावाट और 430 मेगावाट के बीच) की सीमा के अतिरिक्त नगण्य बिजली पैदा कर सकता है। इसके अलावा, अल्पावधिक बिक्री और एक्सचेंज के माध्यम से बिक्री, डीवीसी केवल अपनी परिवर्तनीय लागत और नियत लागतों के लिए अल्प योगदान की वसूल कर सकता है। प्रबंधन का जवाब अपने आप में विरोधाभासी है क्योंकि यह अपनी अल्पकालिक बिक्री/एक्सचेंज के माध्यम से बिक्री से अपनी नियत लागत वसूली करने में सक्षम था, उसी की वसूली के लिए डब्ल्यूबीएसईडीसीएल पर दावा करने का सवाल ही नहीं उठता है।

यह मामला दिसम्बर 2018 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था; उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (मई 2019)।

<sup>23</sup> दो महीने पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि डीवीसी ने बिलों को प्रस्तुत नहीं किया

<sup>24</sup> अतिरिक्त विद्युत उत्पादन (216 मेगावाट) 1966 मेगावाट (अप्रैल 2015-430 मेगावाट, मई 2015-412 मेगावाट, जुलाई 2015-383 मेगावाट अगस्त 2015-371 मेगावाट और सितंबर 2015-370 मेगावाट) कम 1750 मेगावाट (350\*5)

<sup>25</sup> ग्रिड कोड या पूरे दिन में परिभाषित दिन के किसी भी समय-ब्लॉक के संबंध में इस तरह के उत्पादन स्टेशन द्वारा घोषित मेगावाट में पूर्व बस बिजली देने की क्षमता, विधिवत ईंधन या पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, और आगे के अधीन प्रासंगिक विनियमन में योग्यता।

#### 7.4 अनुसंधान और विकास केन्द्र के स्थानांतरण का अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण उच्च उद्देश्य उपकरण की निष्क्रियता

दामोदर घाटी निगम के अनुसंधान और विकास केन्द्र को नई जगह पर बसाने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण केन्द्र के लिए खरीदे गए ₹6.84 करोड़ की कीमत के उपकरण निष्क्रिय हो गए क्योंकि वे स्थापित नहीं किए गए थे।

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने ₹120 करोड़ की अनुमानित लागत से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर (आईआईटीके) के सहयोग से कोलकाता में उत्कृष्टता सह प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में एक अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) केन्द्र की स्थापना का निर्णय (जुलाई 2007) लिया। ऐसे अनुसंधान एवं विकास केन्द्र का मूल उद्देश्य दिन-प्रतिदिन के गहन अध्ययन और विश्लेषण के साथ-साथ बिजली स्टेशनों और ट्रांसमिशन एवं वितरण (टीएंडडी) प्रणाली की शून्य समस्याओं और उच्च प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) को प्राप्त करना था। डीवीसी ने अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थायी स्थापना के लिए वेस्ट बंगाल हाउसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा न्यूटाउन, कोलकाता में तीन एकड़ भूमि आबंटित (मई 2007) की थी। इस संबंध में, डीवीसी ने पांच वर्षों की अवधि के लिए आईआईटीके में समन्वय केन्द्र के साथ जनवरी 2008/जून 2008 में कोलकाता में अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के गठन और कार्य प्रणाली के संबंध में आईआईटीके के साथ जनवरी 2008/जून 2008 में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू)/करार किया। आरएंडडी केन्द्र का प्रबंधन आईआईटीके के साथ-साथ डीवीसी के मानव संसाधन समर्थन द्वारा किया जाना है। अनुसंधान एवं विकास केन्द्र को विकसित करने और इसे कार्य संचालन के लिए अपेक्षित कोष डीवीसी द्वारा प्रदान किया जाना था। इसी बीच में, डीवीसी ने ₹4.14 लाख<sup>26</sup> के मासिक भुगतान के साथ अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की अस्थायी स्थापना के लिए लाइसेंस आधार पर साल्ट लेक सिटी, कोलकाता में किराये पर आवास की व्यवस्था (जनवरी 2008) की। लाइसेंस तीन वर्षों के लिए था, जिसे आपसी सहमति पर आगे तीन साल की एक और अवधि तक बढ़ाई जा सकती थी।

हालांकि, कोलकाता में अनुसंधान एवं विकास केन्द्र 31 दिसम्बर 2011 से आगे नहीं चल सका क्योंकि लाइसेंसकर्ता ने लाइसेंस को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। कोई अन्य वैकल्पिक आवास नहीं मिलने पर, डीवीसी ने अपने मेजिया थर्मल पावर स्टेशन (एमटीपीएस) में अनुसंधान एवं विकास केन्द्र को स्थानांतरित करने का निर्णय (नवम्बर 2011) किया। ₹8.78 करोड़ मूल्य के अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के सभी उपकरण और औजारों को डीवीसी द्वारा अपने आप ही एमटीपीएस में स्थानांतरित (अप्रैल 2012) कर दिया गया था।

<sup>26</sup> लाइसेंस फीस ₹3.89 लाख तथा रखरखाव शुल्क ₹0.25 लाख

यद्यपि, आईआईटीके ने अपनी चिंता व्यक्त (अक्टूबर 2011) की कि इस तरह उपकरण आदि का स्थानांतरण मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) की सहमति और भागीदारी के बिना विनष्टीकरण और बंद होने पर वारंटी का नुकसान होगा, डीवीसी ने ध्यान नहीं दिया। डीवीसी ने आईआईटीके के साथ करार का नवीकरण नहीं किया, जो जून 2013 में समाप्त हो गया। अन्य उपकरणों का उपयोग विभिन्न इकाइयों में नियमित प्रयोगशाला परीक्षण करने के लिए किया गया था और वहां कोई भी अनुसंधान एवं विकास गतिविधि नहीं हो रही थी। डीवीसी ने अंततः अपनी प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के कारण मुख्य रूप से अनुसंधान और विकास केन्द्र को बंद करने का निर्णय किया।

लेखापरीक्षा ने निम्नानुसार पाया:-

- प्रबंधन ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि न्यू टाउन में भूमि के अधिग्रहण के बाद, स्थायी आवास उपलब्ध होने तक किराए के आवास पर आरएंडडी केंद्र की अस्थायी व्यवस्था, जारी रखी जा सकती है। इस अभ्यास की विशेष रूप से आवश्यकता थी क्योंकि किराये पर आवास शुरू में 3 साल के लिए उपलब्ध थे और उसके बाद लाइसेंसकर्ता की सहमति पर/लाइसेंस को आगे बढ़ाने के लिए लाइसेंसकर्ता के इनकार करने के कारण चौथे वर्ष के अंत में अस्थायी व्यवस्था अंततः समाप्त हो गई थी।
- एमटीपीएस को आरएंडडी केंद्र के सभी उपकरणों और बाद में ओईएम की सहायता बिना अन्य इकाइयों को स्थानांतरित करने की दिशा में प्रबंधन की कार्रवाई विवेकपूर्ण नहीं थी क्योंकि इससे अंततः ऐसे उपकरणों की वारंटी का नुकसान हुआ।
- अनुसंधान और विकास केन्द्र को बंद करने का निर्णय लेते समय, डीवीसी ने पावर स्टेशनों की समस्याओं के अध्ययन और विश्लेषण के साथ-साथ टीएंडडी प्रणाली के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की जिसके लिए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था। यह दर्शाता है कि शून्य बल आउटटेज और उच्च पीएलएफ प्राप्त करने के परिकल्पित उद्देश्य अप्राप्य रहा।

इस प्रकार, डीवीसी द्वारा अनुसंधान एवं विकास केन्द्र को कोलकाता से एमटीपीएस में स्थानांतरण करना विवेकपूर्ण और सुनियोजित नहीं था इसके परिणामस्वरूप ₹6.84 करोड़ मूल्य के महंगे उपकरण बेकार हो गए हैं जो स्थापित नहीं किए गए थे और काम आने की स्थिति में नहीं थे।

प्रबंधन में, प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के आधार पर अनुसंधान एवं विकास केन्द्र को बंद करने को न्यासंगत (सितम्बर 2018) ठहरते हुए, इसकी अविवेकपूर्ण और अनियोजित

स्थानांतरण के लिए कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया। मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों का समर्थन (नवम्बर 2018) किया।

### एनटीपीसी लिमिटेड और एनटीपीसी - सेल पावर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

#### 7.5 अर्ध वेतनिक अवकाश नकदीकरण का अधिक भुगतान

सेवा-निवृत्ति पृथक्करण पर अर्ध-वेतन अवकाश पर भुगतान योग्य राशि की गणना के लिए गलत पद्धति को अपनाने के परिणामस्वरूप एनटीपीसी लिमिटेड और एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों को ₹74.89 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया जो समय बीतने के साथ और बढ़ेगा।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देश (24 अप्रैल 1987) कहते हैं कि प्रत्येक पीएसयू निदेशक मंडल के अनुमोदन के साथ अपने कर्मचारियों के लिए अवकाश नियम भारत सरकार (जीओआई) के द्वारा इस संबंध में जारी किए नीति दिशा निर्देशों के विस्तृत मापदंडों को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल के अनुमोदन के साथ अपने कर्मचारियों के लिए अवकाश नियम तैयार कर सकते हैं। डीपीई ने भी स्पष्ट किया (17 जुलाई 2012) कि अर्जित अवकाश (ईएल) और अर्ध वेतनिक अवकाश (एचपीएल) की 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन सेवा-निवृत्ति पर नकदीकरण के लिए विचार किया जाए। एचपीएल के लिए देय नकद समतुल्य अवकाश वेतन एलपीएल के लिए स्वीकृत अवकाश वेतन और महंगाई भत्ता के समान होगी। डीपीई ने फरवरी 2014 के दिशानिर्देश में इसी स्थिति को दोहराया गया।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) और एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी (पी) लिमिटेड (एनएसपीसीएल), के रिकार्डों की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकन किया:-

i. एनटीपीसी के अवकाश नियमों के अनुसार, कंपनी के साथ सेवा के संबंध में एचपीएल का अर्थ अर्जित अर्धवेतन पर है और किसी कर्मचारी को चिकित्सा आधार सहित किसी भी कारण में दिया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए अर्ध वेतन मूल वेतन के आधे के रूप में लिया जाएगा। अन्य सभी भत्तों को पूरा भुगतान किया जाएगा। इस के अलावा, एचपीएल के नकदीकरण की गणना के उद्देश्य के लिए, केवल मूल वेतन का आधा खाते में लिया जाएगा।

अप्रैल 2011 से मार्च 2018 के दौरान 6607 कर्मचारी, जो एनटीपीसी से सेवा निवृत्त हुए थे जिसमें मूल घटक (₹150.71 करोड़) और डीए घटक (₹147.91 करोड़) को शामिल कर ₹298.62 करोड़ की राशि एचपीएल नकदीकरण के रूप में भुगतान की।

ii. एनएसपीसीएल द्वारा बनाए गए अवकाश नियमों के अनुसार, उनके कर्मचारियों के पृथक्करण पर, ईएल और एचपीएल की 300 दिनों की सीमा के अधीन पात्रता अवकाश देय होगा (यदि ईएल 300 दिनों से कम होगी तो एचपीएल का नकदीकरण होगा और इसे रूपांतरित नहीं की जाएगी)। नकदीकरण के उद्देश्य के लिए मूल वेतन और डीए को लेकर गणना की जाती है।

अप्रैल 2011 से जुलाई 2018 के दौरान, एनएसपीसीएल से कुल 80 कर्मचारी पृथक् हुए और जिसमें मूल घटक (₹1.20 करोड़) और डीए घटक (₹1.85 करोड़) को शामिल करते हुए ₹3.05 करोड़ की राशि एचपीएल नकदीकरण के रूप में भुगतान की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनटीपीसी और एनएसपीसीएल के प्रबंधन ने एचपीएल की गणना करते समय अर्ध मूल वेतन के बजाय पूर्ण मूल वेतन पर स्वीकार्य दर से डीए की अनुमति दी। परिणामस्वरूप डीए की देय राशि का दुगुना भुगतान हुआ। इस प्रकार, एचपीएल की गणना के लिए असंगत पद्धति को अपनाने के कारण एनटीपीसी ने अप्रैल 2011 और मार्च 2018 के बीच की अवधि के दौरान ₹73.96 करोड़ की अधिक राशि का भुगतान किया। इसी प्रकार, एनएसपीसीएल ने अप्रैल 2011 और जुलाई 2018 के बीच की अवधि के दौरान ₹0.93 करोड़ की अधिक राशि का भुगतान किया।

एनटीपीसी के प्रबंधन ने जवाब दिया (दिसम्बर 2018) कि डीपीई के का.जा. में अर्द्ध वेतन अवकाश के नकदीकरण के बदले में अर्द्ध वेतन और आधे डीए के भुगतान के लिए स्पष्ट नहीं किया गया था और एनटीपीसी के आधे वेतन अवकाश से संबंधित नियम डीपीई, डीओपीटी और सीसीएस के दिशा निर्देशों के अनुरूप थे। एनएसपीसीएल प्रबंधन ने यह भी कहा (नवम्बर 2018) कि डीपीई के दिनांक 17 जुलाई 2012 के का.जा. में बताया गया कि अर्ध-वेतन अवकाश के लिए देय नकद समतुल्य अवकाश वेतन के समान होगा क्योंकि अर्ध-वेतन के साथ डीए स्वीकार्य होगा न की आधा डीए।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीए को मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और जब एचपीएल नकदीकरण के लिए मूल वेतन का आधा माना जाता था, तो

डीए भी केवल आधे मूल वेतन का होना चाहिए था। इसके अलावा, डीओपीटी ने औद्योगिक कर्मचारियों को ईएल और एचपीएल के नकदीकरण के लिए आदेशों का विस्तार करते हुए, दुहराया (दिसम्बर 28, 2012) कि एचपीएल के लिए लागू नकद समतुल्य अवकाश एचपीएल के लिए स्वीकार्य अवकाश वेतन प्लस अवकाश वेतन के लिए स्वीकार्य डीए के बराबर होगा। इसलिए दोनों कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाले पद्धति मौजूदा नियमों के अनुरूप नहीं थी।

इस प्रकार, सेवा-निवृत्ति अधिवर्षिता/पृथक्करण पर एचपीएल नकदीकरण की गणना के लिए अपनाई गई असंगत पद्धति के परिणामस्वरूप एनटीपीसी और एनएसपीसीएल के कर्मचारियों को ₹74.89 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया जो समय बीतने के साथ और बढ़ता जाएगा।

मामलों को दिसम्बर 2018 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2019)।

#### एनटीपीसी सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

### 7.6 डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में कार्यकारियों को अनियमित भुगतान

एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लिमिटेड ने 2008-09 से 2017-18 की अवधि के दौरान डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में भत्ते/सुविधाओं पर अपने कार्यकारी कर्मचारियों को ₹23.30 करोड़ का भुगतान किया, जो समय बीतने के साथ आगे और बढ़ जाएगा।

भारत सरकार ने दिनांक 26 नवम्बर 2008 के डीपीई का.जा.<sup>27</sup> के अनुसार 1 जनवरी 2007 से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) में गैर-संगठित पर्यवेक्षणों के साथ-साथ बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारियों के वेतन और भत्तों के संशोधन के लिए नीति अधिसूचित की। उक्त का.जा. अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान करता है कि सीपीएसई के निदेशक मंडल भत्तों और सुविधाओं पर निर्णय करेंगे कि मूल वेतन के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन कार्यकारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वीकार्य है। सीपीएसई 'कैफेटेरिया दृष्टिकोण' का अनुसरण करते हैं जिससे कार्यकारियों को सुविधाओं और भत्तों के एक सेट का चयन करने की अनुमति दी जाती है। केवल चार भत्ते अर्थात् उत्तर-पूर्व भत्ता, भूमिगत खदानों के लिए भत्ता, मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कठिन और दूर-दराज के

<sup>27</sup> सार्वजनिक उद्यम विभाग के कार्यालय जापन संख्या 2(70)108-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XVI दिनांक 26/11/2008

क्षेत्र में सेवा देने के लिए विशेष भत्ता और मेडिकल चिकित्सकों के लिए गैर अभ्यास भत्ता को मूल वेतन के 50 प्रतिशत की सीमा के दायरे से बाहर रखा गया है।

डीपीई ने स्पष्ट किया (जून 2012) के कैफेटेरिया दृष्टिकोण के तहत निर्धारित 50 प्रतिशत सीमा के बाहर नवम्बर 2008 के उनके का.जा. में उल्लिखित चार भत्तों का छोड़कर कोई और भत्ता/ लाभ सुविधा स्वीकार्य नहीं थी। डीपीई ने दोहराया (जून 2013) कि 50 प्रतिशत से अधिक सीमा वाले भत्तों का निर्माण गंभीर उल्लंघनों के रूप में लिया जाएगा लेखापरीक्षा और अन्य निगरानी एजेंसियों की संवीक्षा नहीं की जाएगी। डीपीई ने सभी सीपीएसई से दिशा निर्देशों का पूर्णरूप से पालन करने का अनुरोध किया।

एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लिमिटेड (एनएसपीसीएल), ने 26 नवम्बर 2008 से कैफेटेरिया दृष्टिकोण (अवसंरचना सुविधाओं को बनाए रखने और चलाने पर आवृत्त व्यय के मुद्रीकरण के बाद) के तहत अनुलाभ और भत्तों के रूप में संशोधित वेतन का 47 प्रतिशत के भुगतान का निर्णय (अक्टूबर 2009) किया।

लेखापरीक्षा में पाया कि एनएसपीसीएल ने नीचे उद्धृत डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में रात्री घंटों के दौरान कार्य करने के लिए ₹4.10 करोड़), कठिन और दूर-दराज के लिए विशेष भत्तों (₹14.35 करोड़) और पोशाक के लिए प्रतिपूर्ति (₹4.85 करोड़) की क्षतिपूर्ति के लिए अपने कार्यकारी कर्मचारियों (2008-09 से 2017-18 के दौरान) को ₹23.30 करोड़ का भुगतान किया।

(i) रात्री घंटों के दौरान कार्य करने के लिए क्षतिपूर्ति:- एनएसपीसीएल ने 26 नवम्बर 2008 से प्रभावी रात्री घंटों के दौरान कार्य करने के लिए एक नियत राशि के रूप में क्षतिपूर्ति के लिए एक योजना (सितम्बर 2010) प्रस्तुत की। रात्री घंटों के दौरान कार्य करने के लिए ऐसी क्षतिपूर्ति न तो कैफेटेरिया सूची में न ही कैफेटेरिया सूची के बाहर स्वीकार्य भत्तों में शामिल था, ऐसा भुगतान डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में था।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2018) कि पावर प्लांटों के चौबीसों घंटे संचालन में कर्मचारियों को रात्री शिफ्ट सहित तीन शिफ्टों में तैनात किया गया है और इसलिए इन कर्मचारियों को हॉस्पिटैलिटी व्यय की प्रतिपूर्ति की गई है। प्रबंधन का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कैफेटेरिया सूची के बाहर चार भत्तों के अलावा सभी अनुलाभ और भत्ते डीपीई द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा के तहत शामिल किये गये थे।

(ii) विशेष भत्ता (कठिन और दूर-दराज के क्षेत्र):- नवम्बर 2008 के डीपीई का. जा; के अनुसार मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कठिन और दूर दराज के क्षेत्रों में सेवा के लिए

विशेष भत्ता सहित केवल चार भत्तों को मूल वेतन के 50 प्रतिशत की सीमा के दायरे से बाहर रखे गए थे। इसके अलावा, व्यय विभाग (डीओई) ने विशेष क्षतिपूर्ति (दूरस्थ स्थान) भत्ता प्रदान करने के लिए पात्र क्षेत्रों को निर्धारित (दिनांक 29 अगस्त 2008<sup>28</sup> के का.जा.) किया। डीपीई ने आगे कहा (22 जून 2010) कि सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग द्वारा कठिन और दूर-दराज क्षेत्र माना गया था, डीओई के का.जा. के तहत शामिल नहीं था, संबंधित मंत्रालय/विभाग डीओई के का.जा. में निर्दिष्ट स्थानीयता की तुलनीयता पर आधारित का.जा. के पैरा 4 में इंगित विशेष भत्ता के लिए दर पर निर्णय करने के लिए अपने वित्तीय सलाहकार के साथ परामर्श किया जाए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएसपीसीएल ने 26 नवम्बर 2008 से भिलाई, राऊरकेला और दुर्गापुर साइट कार्यालयों में तैनात अपने कर्मचारियों को मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर पर क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता<sup>29</sup> का भुगतान करने की अनुमति (अक्टूबर 2009) दी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि एनएसपीसीएल ने अपने कर्मचारियों को विशेष भत्ता के भुगतान की अनुमति देते समय डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों पर विचार नहीं किया। एनएसपीसीएल के साइट कार्यालय दुर्गापुर, राऊरकेला और भिलाई में स्थिति है जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा निर्मित अवसंरचना सुविधाओं से पूर्ण रूप से जुड़े और विकसित शहर है।

इन शहरों को डीओई के का.जा. में निर्धारित सूदूर जिलों के साथ तुलनीय नहीं है। इसके अलावा, इस आधार पर भत्ता की अनुमति दी गई थी कि कर्मचारियों को अत्यधिक गर्मी, विस्फोटक तरह पदार्थ, गैसों आदि गया था। हालांकि, इन शर्तों ने कठिन और दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए औसत भत्ते के भुगतान का अधिकार नहीं है। इसके अलावा, प्रशासनिक मंत्रालय का भी अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था। इस प्रकार, कंपनी द्वारा विशेष भत्ते का भुगतान अनियमित था।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2018) कि भत्ते का भुगतान का विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के अनुरूप नियमित होगा, जो अभी भी प्राप्त होना बाकी था।

<sup>28</sup> व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय का.जा. संख्या 3(1)/2008-ई-11 (बी) दिनांक 29 अगस्त 2008

<sup>29</sup> विशेष भत्ता के रूप में पुनःनाम (जनवरी 2014) - 1 नवम्बर 2013 से मूल वेतन के 6 प्रतिशत

(iii) पोशाक के संबंध में प्रतिपूर्ति को प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों को भेदभाव से रहित संगठनात्मक संस्कृति को प्रोत्साहित करने और 2013-14 में संगठनात्मक अनुशासन को प्रतिबिंबित करने की अनुमति दी थी। इस योजना में एक निश्चित वार्षिक सीमा के भीतर पोशाक की लागत का प्रतिपूर्ति की परिकल्पना की गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त लाभ स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ऐसे भत्ता/अनुलाभ न तो कैफेटेरिया सूची में शामिल हैं और न ही कैफेटेरिया सूची के बाहर स्वीकार्य चार भत्तों में शामिल थे।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2018) कि पोशाक ने एकजुटता की भावना को पेश किया और आपसी विकास विकास को प्रोत्साहित किया। प्रबंधन का जवाब स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि कैफेटेरिया की सूची के बाहर चार भत्तों के अलावा सभी अनुलभों और भत्तों को डीपीई द्वारा नियत 50 प्रतिशत सीमा के तहत शामिल होना था।

इस प्रकार, कंपनी ने 2008-09 से 2017-18 के दौरान डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में भत्तों/अनुलभों पर अपने कार्यकारी कर्मचारियों को ₹23.30 करोड़ का भुगतान किया। आगे समय बीतने के साथ अतिरिक्त भुगतान में और वृद्धि होगी।

मामला दिसम्बर 2018 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था, उनका जवाब प्रतीक्षित था(मई 2019)।

#### पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

#### 7.7 पट्टे पर आवास प्राप्त करने वाले कार्यकारियों से मकान के किराये की कम वसूली

पट्टे पर आवास प्राप्त करने वाले कार्यकारियों से पट्टे के किराए की वसूली के लिए डीपीई के निर्देशों के अननुपालन के परिणामस्वरूप अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2016 के दौरान ₹18.94 करोड़ की कम वसूली हुई।

मार्च 2012 के डीपीई निर्देशों के अनुसार सीपीएसई द्वारा अपने कर्मचारियों को किराए पर दिए गए आवास के संबंध में किराया की वसूली मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से या वास्तविक किराया जो भी कम हो की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने दिसम्बर 2016 तक कार्यकारियों को पट्टे पर प्रदान किए गए आवास के लिए मूल वेतन के 10 प्रतिशत के बजाय इसके द्वारा निर्धारित स्लैब दरों से मकान का किराया वसूल किया

गया। पीजीसीआईएल ने तीसरी वेतन संशोधन रिपोर्ट के अनुपालन में पट्टे पर प्राप्त आवास के कार्यकारियों से जनवरी 2017 से मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से मकान का किराया वसूल करना शुरू किया। इस प्रकार, उपर्युक्त डीपीई निर्देशों के अननुपालन के परिणामस्वरूप अप्रैल 2012 में दिसम्बर 2016 के दौरान ₹18.94 करोड़ के कम वसूली हुई।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने जवाब (जनवरी 2019) दिया कि मकान किराया की वसूली के लिए दरों को मजदूरी संशोधन के समय पर संशोधित किया गया है। एक बार अंतिम रूप देने के बाद, लाइसेंस शुल्क/ एचआरआर अगले वेतन संशोधन तक अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि अनुलाभों/हित लाभों में कमी कर्मचारी की मनोदशा को प्रभावित करती है। इसके अलावा, ऐसे कर्मचारी है जो 2012 से 2016 के बीच पीजीसीआईएल से अलग हो गए हैं, इसलिए ऐसे कर्मचारियों से वेतन मूल का 10 प्रतिशत की दर से मकान का किराया वसूल करना मुश्किल होगा।

विद्युत मंत्रालय का जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मार्च 2012 के डीपीई के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, पीजीआईसीएल ने कर्मचारी के मूल वेतन के 10 प्रतिशत के बजाय इसके द्वारा नियत नीचे की स्लैब दरों से मकान किराये की वसूली जारी रखा और वसूली की दर लागू करने के लिए अगले मजदूरी संशोधन के कार्यान्वयन तक प्रतीक्षा की। पीएफसी लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आदि ने कोई भी वेतन संशोधन संशोधन का इंतजार किए बिना इन दिशा निर्देशों को सफलतापूर्वक लागू किया गया। इस प्रकार, डीपीई निर्देशों के अनुपालन के परिणाम स्वरूप अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2016 के दौरान ₹18.94 करोड़ की कम वसूली हुई।

#### पीएफसी लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड

#### 7.8 स्वीकार्य सीमा से अतिरिक्त भत्तों और अनुलाभों का अनियमित भुगतान

सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देशों के 50 प्रतिशत/35 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त कार्यकारियों को भत्तों और अनुलाभों प्रदान करने के परिणामस्वरूप अपनी सहायक कंपनियों सहित पीएफसी लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड के कर्मचारियों को क्रमशः ₹19.91 करोड़ और ₹13.39 करोड़ के मूल्य के अनुलाभों का अनियमित भुगतान किया।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग डीपीई ने जनवरी 2007 से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) में वेतनमान में संशोधन पर दिशा निर्देश जारी (नवम्बर 2008) किए। दिशा निर्देशों ने सीपीएसई को "कैफेटेरिया दृष्टिकोण" का पालन करने की अनुमति दी, जिससे कार्यकारियों को अनुलाभ (सुविधाएं) और भत्तों (उत्तर-पूर्व भत्ता, भूमिगत खदानों के लिए

भत्ता, कठिन और दूर दराज के क्षेत्र में सेवारत के लिए विशेष भत्ता, चिकित्सा अधिकारियों के लिए गैर-चिकित्सा भत्ता और कमान किरया भत्ता/पट्टे पर आवास को छोड़कर) मूल वेतन के अधिकतम 50 प्रतिशत के अधीन चुनने की अनुमति दी गई। उक्त अधिकतम सीमा को जनवरी 2017 से वेतन संशोधन पर डीपीई दिशानिर्देशों (अगस्त 2017) के अनुसार मूल वेतन के 35 प्रतिशत तक संशोधित की गई थी।

**7.8.1** पीएफसी लिमिटेड के निवेशक मंडल ने ब्याज मुक्त बहुउद्देशीय अग्रिम योजना<sup>30</sup> मंजूरी (जनवरी 2007) दी। इस अग्रिम की अधिकतम राशि छह महीने के वेतन के बराबर थी व इस अग्रिम की वसूली दो से चार वर्ष वर्षों तक की जानी थी। इस योजना में संशोधन (जुलाई 2015) किया गया जिसके अनुसार इस अग्रिम की अधिकतम राशि 12 महीने के बराबर किया गया व अग्रिम की वसूली को दो से पांच वर्ष किया गया। इसी प्रकार गृह निर्माण के लिए अग्रिम कम्प्यूटर, विवाह, वाहन और शिक्षा की योजनाओं को ब्याज की रियायत दर पर अनुमोदित किया था। योजनाएं इनकी सहायक कम्पनियों<sup>31</sup> के कर्मचारियों के लिए भी लागू की गई थी।

पीएफसी अपने कार्यकारियों को कैफेटेरिया दृष्टिकोण के तहत अनुलाभों भत्तों की अनुमोदित बास्केट में शामिल 15 अनुलाभों और भत्तों के एक सेट को चुनने की अनुमति (नवम्बर 2009) दी, जिसे बाद में 17 अनुलाभ भत्तों तक वृद्धि (अप्रैल 2014) कर दी। इसके अतिरिक्त चल सम्पत्ति अनुलाभ को भी पीएफसी द्वारा अनुमति दी। इन अनुलाभों/भत्तों को अनुमोदित बास्केट में शामिल नहीं किया। अग्रिमों पर ब्याज की रियायत को दर अधिनियम 1961 के तहत अनुलाभ के रूप में लिया व पीएफसी ने कंपनी सहायक कंपनियों सहित स्रोत पर कर कटौती के लिए अपने कार्यकारियों के कर योग्य वेतन के भाग के रूप में लिया।

पीएफसी ने अपने कार्यकारियों को ब्याज मुक्त/रियायती ब्याज पर अग्रिम वितरण किया और ऐसे अग्रिमों पर ₹18.97<sup>32</sup> करोड़ का रियायती ब्याज और अप्रैल 2009 से मार्च 2018 तक सम्पत्ति सुविधा मूल्य ₹0.94<sup>33</sup> करोड़ पर विचार नहीं किया गया क्योंकि सुविधाएं

<sup>30</sup> वेतन में महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, ठहराव वेतन और व्यक्तिगत वेतन शामिल हैं।

<sup>31</sup> पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड

<sup>32</sup> पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड के वर्ष 2017-18 के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

<sup>33</sup> पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड के वर्ष 2017-18 के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

50/35 प्रतिशत की सीमा के अन्दर थी, यद्यपि कैफेटेरिया दृष्टिकोण के तहत इसे डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुसार अधिकतम सीमा में शामिल करना अपेक्षित था। पीएफसी ने, डीपीई दिशा निर्देशों का गैर-अनुपालन के कारण, अपने कर्मचारियों के अनुलाभों/भत्तों पर ₹19.91 करोड़ (₹18.97 करोड़ + ₹0.94 करोड़) (अनुलग्नक VI) का अतिरिक्त व्यय उठाया।

**7.8.2** आरईसी लिमिटेड (आरईसी) के निदेशक मंडल ने ब्याज मुक्त बहुउद्देशीय अग्रिम योजना, मंजूरी (जुलाई 2008) दी। इस अग्रिम की अधिकतम राशि छह महीने के वेतन<sup>34</sup> के बराबर थी व इस अग्रिम की वसूली दो से चार वर्षों तक की जानी थी। इस योजना में संशोधन (अक्टूबर 2014) किया गया जिसके अनुसार अग्रिम की अधिकतम राशि 12 महीने के बराबर किया गया व अग्रिम की वसूली को तीन से पांच वर्ष तक किया गया। इसी प्रकार गृह निर्माण, कम्प्यूटर, विवाह, घरेलू समान, वाहन और शिक्षा के लिए ब्याज की रियायती दर पर अग्रिम योजनाओं को भी अनुमोदित किया था।

आरईसी ने अपने कार्यकारियों को मूल वेतन के 50 प्रतिशत सीमा के साथ कैफेटेरिया दृष्टिकोण के तहत अनुलाभों/भत्तों की अनुमोदित बास्केट में शामिल 16 अनुलाभों और भत्तों के एक सेट को चुनने की अनुमति (जुलाई 2010) दी। अग्रिम पर रियायती ब्याजों को अनुलाभों/भत्तों को अनुमोदित बास्केट में शामिल नहीं किया। अग्रिमों पर रियायत ब्याज को आयकर अधिनियम 1961 के तहत इन अनुलाभों को भत्ता के रूप में लिया व स्रोत पर कर कटौती के अपने कार्यकारियों की कर योग्य वेतन के हिस्से के तौर पर इसे लिया।

आरईसी ने अपने कार्यकारियों को ब्याज मुक्त/रियायती ब्याज अग्रिम का वितरण किया और अप्रैल 2009 से मार्च 2018 तक ऐसे अग्रिमों पर ₹13.39 करोड़ (अनुलग्नक VII) का रियायती ब्याज दिया, जिसे 50 प्रतिशत/35 प्रतिशत की सीमा के अन्दर अनुलाभों के रूप में नहीं लिया गया था, यद्यपि कैफेटेरिया दृष्टिकोण के तहत इसे डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार ऊपरी सीमा में शामिल होना अपेक्षित था। जैसा कि, आरईसी ने डीपीई दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के कारण अप्रैल 2009 से मार्च 2018 तक अपने कर्मचारियों के अनुलाभों/ भत्तों पर ₹13.39 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन किया।

पीएफसी/आरईसी ने जवाब दिया (18/26 अप्रैल 2019) कि डीपीई ने अपने दिशानिर्देशों में कैफेटेरिया दृष्टिकोण के लिए अनुलाभों और भत्तों के रूप में अग्रिमों पर ब्याज को वर्गीकृत नहीं किया है।

<sup>34</sup> वेतन में मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है।

पीएफसी और आरईसी का जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डीपीई ने कैफेटेरिया दृष्टिकोण के लिए अपने दिशानिर्देशों में, कुछ अनुलाभों और भत्तों (अर्थात् उत्तर-पूर्व भत्ता, भूमिगत खदानों के लिए भत्ता, कठिन और दूर दराज क्षेत्रों में सेवा के लिए विशेष भत्ता, चिकित्सा अधिकारियों के लिए गैर-चिकित्सा भत्ता और मकान किराया भत्ता/पट्टे पर आवास) को 50 प्रतिशत/35 प्रतिशत की सीमा से बाहर रखने के लिए निर्दिष्ट किया है उस में यह अनुलाभ/भत्ता शामिल नहीं है।

मंत्रालय में इस मामलों को संदर्भित (मार्च/मई 2019) किया था उनका जवाब प्रतीक्षित था।

### टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

#### 7.9 डीपीई द्वारा नियत उच्चतम सीमा से परे अनुलब्धियाँ का अनियमित भुगतान

डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों की अनुलब्धियाँ और भत्तों के भुगतान पर ₹15.59 करोड़ का व्यय वहन किया।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) ने जनवरी 2007 से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) में वेतनमान के संशोधन पर दिशानिर्देश जारी (नवम्बर 2008) किए। दिशानिर्देशों ने सीपीएसई को "कैफेटेरिया दृष्टिकोण" को पालन करने की अनुमति दी, जिसने अपने कार्यकारियों को मूल वेतन के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन अनुलब्धियाँ (सुविधा) और भत्तों के एक सेट को चुनने की अनुमति दी। चार भागों जैसे उत्तर-पूर्व भत्ता, (ii) भूमिगत खदानों के लिए भत्ता (iii) कठिन और दूर दराज के क्षेत्र में सेवा के लिए विशेष भत्ता (iv) चिकित्सा अधिकारी के लिए प्रैक्टिस बंदी भत्ता और (v) मकान किराया भत्ता/पट्टे पर आवास को मूल वेतन की 50 प्रतिशत सीमा क्षेत्र से बाहर थे। उन स्थानों पर, जहां सीपीएसई ने अस्पतालों, कॉलेजों, स्कूलों, क्लबों आदि जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं बनाई है, इन सुविधाओं को अनुलाभों और भत्तों की गणना के उद्देश्यों के लिए प्रतिस्थापन लागत पर मुद्रीकृत किया जाना चाहिए। डीपीई ने दोहराया (अप्रैल 2011/जून 2012/जून 2014) कि कोई भी अनुलाभों और भत्तों को नहीं, उपर्युक्त चार भत्तों को छोड़कर मूल वेतन के 50 प्रतिशत की सीमा से क्षेत्र से बाहर थे, और गृह आवास के पट्टे प्रदान करने के लिए कर अनुलब्धियों को अनुलाभों / भत्तों की सीमा के अन्दर रखना चाहिए।

वेतन संशोधन के समय जनवरी 2017 से, डीपीई ने मूल वेतन के 35 प्रतिशत के अनुलाभों/भत्तों की सीमा को संशोधित (3 अगस्त 2017) किया, और अनुलाभों और भत्तों के क्षेत्र में अनुलब्धियों को कर की 50 प्रतिशत की अनुमति दी। अस्पताल, कॉलेज और

स्कूलों आदि अवसंरचनात्मक सुविधाओं की परिचालन और अनुरक्षण पर वहन की गई आवर्ती लागत को अनुलाभों / भत्तों की सीमा क्षेत्र से बाहर रखा था।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसी) ने अपने कर्मचारियों को अनुलाभों/ भत्तों के लिए 50 प्रतिशत की उपलब्ध बास्केट के बाहर मूल वेतन के 47 प्रतिशत की अनुमति दी। मूल वेतन का शेष 3 प्रतिशत 1 अप्रैल 2009 से 31 दिसम्बर 2016 की अवधि के लिए ₹15.73 करोड़ था। अस्पताल, कॉलेज और स्कूलों आदि की सुविधाओं का मुद्रीकृत मूल्य और पट्टे पर आवास प्रदान करने के लिए लिए अनुलब्धि कर टीएचडीसी द्वारा अनुमति दी गई अनुलाभों/ भत्तों के बास्केट से बाहर थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि टीएचडीसी ने इसी अवधि के दौरान अस्पताल आदि (₹19.81 करोड़) और अनुलब्धि कर (₹10.44 करोड़) जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं पद ₹30.25 करोड़ का व्यय वहन किया था इसके अलावा, टीएचडीसी ने अनुलाभों/भत्तों के तौर पर 50 प्रतिशत के प्रतिबंध के बिना 1 जनवरी 2017 से 14 मई 2018 तक पट्टे पर लिए गए आवास पर अनुलब्धियों कर पर ₹2.94 करोड़ का व्यय वहन किया था। टीएचडीसी ने दिनांक 3 अगस्त 2017 की डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुपालन में 15 मई 2018 से इसके अनुलाभों/ भत्तों को 50 प्रतिशत तक प्रतिबंधित करना शुरू किया। इसका प्रकार, टीएचडीसी ने अप्रैल 2009 से 14 मई 2018 तक ₹15.99 करोड़ (₹30.25 करोड़ - ₹15.73 करोड़ + ₹2.99 करोड़ का 50 प्रतिशत) अर्थात अनुलाभों/ भत्तों की उच्चतम सीमा के अतिरिक्त भत्तों पर अनियमित व्यय वहन किया।

मंत्रालय/प्रबंधन ने जवाब दिया (मार्च 2019) कि सुविधाओं (₹3.05 करोड़) की मुद्रीकृत मूल्य और अनुलब्धियों आवास पर कर अनुलाभों/ भत्तों की सीमा के बिल्कुल अन्दर था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टीएचडीसी द्वारा सुविधाओं के मुद्रीकरण के लिए संकेतित ₹3.05 करोड़ की राशि केवल सुविधाओं के अवसंरचनाओं पर कंपनी द्वारा प्रभारित मूल्यहास की राशि का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें अन्य चल रहे और रखरखाव के खर्चों की राशि शामिल है जैसे कि मेडिकल स्टोर खरीदे गए, सुविधाओं के लिए कर्मचारियों के वेतन आदि, इन सुविधाओं पर टीएचडीसी द्वारा ₹16.76 करोड़ की राशि वहन की गई। जैसा कि, डीपीई दिशा निर्देशों के उल्लंघन में, टीएचडीसी ने 1 अप्रैल 2009 से 14 मई 2018 तक उनके कर्मचारियों के अनुलाभों/ भत्तों पर ₹15.99 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन किया।